न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 33 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. तगाराम पुत्र बीजला 2. राजाराम पुत्र बीजला 3. वीरो पत्नी बीजला जाति रबारी निवासी सिन्धासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर		1. श्रीमती रम्भा पत्नी अन्ना 2. जेधा पुत्र अन्ना 3. नाथा पुत्र अन्ना 4. सवा पुत्र अन्ना 5. नानजी पुत्र अन्ना 6. काना पुत्र हटा 7. चेला पुत्र हटा जाति कलवी 8. लामू पुत्र बगता का.मु 8/1पारूदेवी पत्नी लामुराम 8/2अचलाराम पुत्र लामुराम 8/3नरसाराम पुत्र लामुराम 9. भगवानाराम पुत्र केहरा 10. नरसींराम पुत्र केहरा 11. प्रकाश पुत्र केहरा 12. चतराराम पुत्र केहरा रेस्पोडेंट संख्या 11 से 12 नाबालिग जरिए कुदरति वली माता लीलादेवी पत्नी केहरा 13. जोगाराम पुत्र सरदारा 14. सावलाराम पुत्र सरदारा 15. काछबा पुत्र हरजी जाति रबारी निवासी सिन्धासवा हरनियान तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर 16. शाखा प्रबन्धक बी.सी.सी.बी. शाखा गुड़ामालानी 17. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा गुड़ामालानी 18. श्रीमान तहसीलदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 60/2020 बअनवान रम्भा बनाम तगाराम में पारित आदेश दिनांक 17.01.2022 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री मुकेश जैन अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नारायण कुमावत रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 03.08.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदातागण संख्या 01 से 07 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि उतरदाता संख्या 01 से 07 की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 48 रकबा 31.15 बीघा, मौजा सिन्धासवा हरनियान पटवार क्षेत्र सिन्धासवा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में आया हुआ है तथा प्रार्थीगण के खेत के पास ही अपीलांट/विप्रार्थीगण का खेत

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खसरा संख्या 49 रकबा 50.03 बीघा आया हुआ है। उत्तरदातागण को अपनी आराजी में आने जाने हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 49 रकबा 50.03 बीघा में से आ जा सकते है तथा इसी रास्ते का उपयोग करते आ रहे है। इसके अलावा प्रार्थीगण की जोत पर आने हेतु कोई रास्ता नहीं है एवं काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत चारों ओर से काश्तकार अपनी काश्त कर लेते है, जिससे प्रार्थीगण को अपनी जोत में आने जाने में बाधित हो जाते है एवं हर बार रास्ते को लेकर भारी विरोध होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पत्रावली का अध्ययन किए एवं बिना अपीलांट को सुनवाई का अधिकार दिए दिनांक 17.01.2022 को एकतरफा स्वीकार कर रेस्पोडेंट संख्या 08 से 15 व अपीलांट की खातेदारी के खेत में से रास्ता प्रदान कर दिया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी भारतीय स्टेट बैक शाखा गुड़ामालानी एवं बाड़मेर सेन्ट्रल को बैंक गुड़ामालानी के पास रहन रखा हुआ है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त बैंकों को नोटिस तामील नहीं करवाये गये। विप्रार्थी संख्या 07 प्रकाश एवं विप्रार्थी संख्या 08 चतराराम नाबालिग है लेकिन नाबालिग का वली नियुक्त किए बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने नाबालिग पक्षकारों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। खेत खसरा संख्या 49 में जिस स्थान पर रास्ता स्वीकृत किया गया है वहा अपीलांट की ढाणी एवं किमती वृक्ष है लेकिन रेस्पोडेंटस/प्रार्थीगण ने इस तथ्य को छिपाकर माननीय न्यायालय को अंधकार मे रखकर एकतरफा निर्णय पारित करवा दिया, इसमें अपीलांट की ढाणी एवं कीमती वृक्ष समाप्त हो जाएंगे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है वह मौका पर जाकर नहीं बनाई गई है एवं तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपीलांटगण को बिना सूचित किये एवं बिना मौके पर जाये कार्यालय में बैठे–बैठे उतरदाता के प्रभाव में आकर बनाई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वरा अपीलाधीन आदेश मृत पक्षकार के विरूद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत आवेदन में पक्षकार शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैक शाखा गुड़ामालानी एवं शाखा प्रबन्धक बी सी सी बी शाखा गुड़ामालानी नोटिस तामील करवाये गये अपीलांट की आपति का कोई आधार नहीं है। मृत पक्षकार की सूचना न्यायालय के समक्ष पेश करने का उतरदायित्व उभयपक्ष का है तथा हस्तगत अपील मृत पक्षकार के वारिसान द्वारा पेश नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कियां गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांटगण द्वारा हस्तगत अपील पेश कर आवेदन में संयोजित पक्षकार विप्रार्थीगण संख्या 12 से 13 की तामील नहीं होने का कथन किया गया जबकि पत्रावली पर उपलब्ध सम्मन की परत से यह साबित होता है कि उपरोक्त पक्षकार के नाम रजिस्टर्ड डाक से सम्मन दिनांक 20.03.2021 को भिजवाये गये जो तामील की तारीफ में आते है। विप्रार्थी संख्या 04 के फौत होने का कथन अपीलांटगण द्वारा अपनी अपील में किया गया तथा अपीलाधीन आदेश मृत पक्षकार के विरूद्ध पारित करने का कथन किया, लेकिन विप्रार्थी पक्ष/अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मृत पक्षकार की किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई तथा अपील पेश करते वक्त अपीलांट द्वारा मृत पक्षकार के विरूद्ध पारित आदेश का आधार लिया गया इससे साफ जाहिर होता है कि अपीलांट स्वयं ने जानबुझकर अधीनस्थ न्यायालय में विप्रार्थी संख्या 04 के कायम मुकाम की सूचना नहीं दी गई। तथा न ही विप्रार्थी संख्या 04, 12, 13 द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध किसी भी प्रकार का आवेदन/अपील पेश की गई। इसलिए अपीलांटगण का उपरोक्त आधार निराधार एवं कपोल कल्पित है। अंतर्गत 251 ए राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया है जिससे अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया प्रतीत होता है। मौका फर्द दिनांक 29.01.2021 में स्पष्ट किया गया है कि "प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 48 से राजकीय कटान मार्ग खसरा संख्या 42 के बीच खसरा संख्या 49 रकबा 50.03 बीघा आया हुआ है इस प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थी के कटान मार्ग तक पहुचने का अन्य कोई विकल्प विद्यमान नहीं है। वक्त मौका जांच प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का कच्चा/पक्का निर्माण कार्य नहीं किया हुआ है मौके पर भूमि खाली है।" अपीलांट द्वारा ऐतराज पर ऐतराज पेश किया जा रहा है जिससे अपीलांट की रास्ता नहीं देने की नीयत साफ झलकती है। वह प्रस्तावित रास्ते में अवरोध पैदा करने की कार्यवाही में लिप्त है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना कतई न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 60/2020 बअनवान रम्भा बनाम तगाराम में पारित आदेश दिनांक 17.01.2022 को यथावत रखा जाता है।

(इन्दिरा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 03.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर